न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	04/23	2023/12	16.06.2023	सरकार बनाम दुर्गेश छीपी वगै0	26.02.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 04/2023 (2023/12)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। आवेदक

बनाम

1. श्री दुर्गेश छीपी पुत्र स्वः श्री राधेश्याम छीपी (विक्रेता) मैसर्स अनीता स्टोर, एनआरआई शॉपिंग मॉल गोपाल जी मन्दिर के पास वजीरपुर। निवासी वार्ड न.4 छीपी मोहल्ला वजीरपुर।
2. श्री प्रसन्न कुमार सुराणा पुत्र श्री मनमल (प्रोपराईटर) मैसर्स मॉ सुसवानी डिस्ट्रीब्युटर एवं मैसर्स जैन ब्रदर्स ओसवाल भवन पुरानी अनाज मंडी, गंगापुर सवाई माधोपुर।
3. श्री मोहित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (प्रोपराईटर) मैसर्स अजीत सरीया ट्रेडर्स मैन मार्केट श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, फतेहपुर शेखावटी, सीकर । ब्रांच ऑफिस रोड न.2 सीकर, जयपुर निवासी वार्ड न. 13, चिरानीयों का मोहल्ला फतेहपुर शेखावटी सीकर। पिन कोड 332301 – अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 26.02.2026

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 24.06.2022 को दोपहर 01.00 पी.एम पर एनआरआई शॉपिंग मॉल, गोपाल जी मंदिर के पास स्थित फर्म अनीता स्टोर पर पहुंचे एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु 500–500 एमएल पैकिंग में 10 पैकेट घी (बृजवासी) रखे थे। उक्त घी में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जॉच हेतु 500 एमएल के 4 पैकेट घी (वृजवासी) खरीदकर उसकी कीमत 880/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री स्वः श्री राधेश्याम छीपी के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान जाहिद एवं श्री शैतान सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (वृजवासी) के चारो पैकेटों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर [illegible] अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक [illegible] अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–2345 [illegible] नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री स्वः श्री राधेश्याम छीपी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री स्वः श्री राधेश्याम छीपी को देकर रसीद प्राप्त की। फॉर्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/1848 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2238/ एक्ट/ 2022/ 2266 दिनांक 11.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (बृजवासी) **Sub&Standard & contravens regulation** 2.3.7 (2) प्रकृति का होना पाया गया है, , साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ घी (बृजवासी) **Sub&Standard & contravens regulation** 2.3.7 (2) प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2**(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उ[illegible]ही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य [illegible] साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने [illegible] निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh
Date: 2026.03.10 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2238/ एक्ट/ 2022/ 2266 दिनांक 11. 07.2022 निम्नानुसार हैः–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-B
Test Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. / 2238 / Act / 2022 / 22.66 Date: 11-07-2022

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee (Vrajvashi Brand)" bearing Code number and Serial number H-2345 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawal Madhopur area on 27-06-2022 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 06-07-2022 to 11-07-2022 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed hard paper box packing of 500ml.
(2) Physical appearance : - Light yellow coloured thick fatty liquid.
(3) Label :-

Brand name	: - Vrajvashi
Batch No.	: - VG-002
Date of Mfg. / Pkg.	: - 02/2022
Best before	: - 9 months from packaging
[redacted]ymbol for Veg. /Non Veg.	: - Green symbol given.
Nutritional Information	: - Given.
Ingredients	: - Milk Fat
Name & Address of Mfr. /Pkr.	: - Verona Products (P) Ltd, Plot No. 4, Survey No. 230 B/h, Sahakari Mandal, Veraval (Shapar) -360024, Gujarat, India, FSSAI License No. :- 10716019000147

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	42.8	40.0 to 43.0
2.	Reichert value.	---do----	31.24	Minimum 26.0
3.	Free fatty acid as Oleic acid.	---do----	0.17%	Max.= 3%
4.	Moisture.	---do----	0.07%.	Max. =0.5%.
5.	Baudouin test.	---do----	Negative	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	---do----	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	---do----	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee (Vrajvashi Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-2345 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)
एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signed this 11th day of July 2022

Food Analyst
(Authorized Signatory)
(Karan Singh Tanwar)
Food Analyst, Rajasthan
Central Public Health Laboratory
Rajasthan, Jaipur

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:16:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (बृजवासी) **Sub&Standard & contravens regulation 2.3.7(2)** के तहत होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ घी (बृजवासी) **Sub&Standard & contravens regulation** 2.3.7 (2) प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested